

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

ई-मेल : higheredu3@rajasthan.gov.in, higheredu3@gmail.com, दूरभाष : 0141-5153222, 5153223, 5153660 (आई.पी. नं. : 24870)

क्रमांक प. 6(4)शिक्षा/ग्रुप-3/2023

जयपुर, दिनांक:- 16.06.2023

:- आदेश :-

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 08.02.2023 के क्रम में चिमनपुरा स्थित मूल महाविद्यालय को बाबा भगवान दास राजकीय महाविद्यालय, चिमनपुरा के नाम से संचालित कर उसमें विज्ञान, वाणिज्य व कला संकाय संचालित किये जाने एवं नव निर्माणाधीन भवन में बाबा नारायण दास राजकीय कृषि महाविद्यालय, चिमनपुरा संचालित किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

- (1) बाबा नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय, चिमनपुरा में 83 पद स्वीकृत है जिसमें से प्राचार्य 01 पद, शारीरिक शिक्षक 01 पद, पुस्तकालयाध्यक्ष 01 पद एवं सहायक लेखाधिकारी 01 पद कुल 04 पद को समाप्त करते हुए शेष 79 पदों को एकीकृत महाविद्यालय बाबा भगवानदास राजकीय महाविद्यालय, चिमनपुरा में हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- (2) राजकीय विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय, चिमनपुरा में संचालित कृषि संकाय को बन्द करते हुए नवीन कृषि महाविद्यालय, चिमनपुरा में समायोजित किये जाने तथा राजकीय विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय, चिमनपुरा में कृषि संकाय हेतु स्वीकृत सहायक आचार्य के 14 पदों को समाप्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- (3) नवीन राजकीय कृषि महाविद्यालय, चिमनपुरा हेतु निम्नानुसार 29 नवीन पदों के सृजन एवं 01 मशीन विद मैनेज की सेवाएँ लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	पद नाम	स्वीकृत पद
1	राजकीय कृषि महाविद्यालय,	अधिष्ठाता/प्राचार्य	01
2	चिमनपुरा (जयपुर)	सह-आचार्य	02
3		सहायक आचार्य	10
4		सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	01
5		सूचना सहायक	01
6		सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय	01
7		प्रशासनिक अधिकारी	01
8		वरिष्ठ सहायक	01
9		कनिष्ठ सहायक	01
10		फार्म मैनेजर	01
11		प्रयोगशाला सहायक	03
12		कृषि पर्यवेक्षक	01
13		वाहन चालक*	01
14		मशीन विद मैनेजर**	(01)
15		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	04
		कुल	29+(01)

*वाहन चालक (ट्रेक्टर चालक) के पद पर सेवानिवृत्त कार्मिक/रेक्सको के माध्यम से सेवाएँ प्राप्त की जा सकेंगी।

** मशीन विद मैनेज की सेवाएँ वित्त विभाग के समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार प्राप्त की जावेगी।

- (4) उक्त नवीन कृषि महाविद्यालय हेतु सृजित नवीन पद राजसेस सोसाइटी के अधीन रहेंगे।
- (5) सोसाइटी के माध्यम से कार्मिकों की उपलब्धता होने तक उक्त नवीन महाविद्यालय में विद्या संबल मॉडल पर विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फेकल्टी के रूप में/विद्यमान नियमित कार्मिकों को आवश्यकतानुसार लगाया जा सकेगा। साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर नियमित/सोसायटी के माध्यम से कार्मिक उपलब्ध नहीं होने तक इन पदों पर रेक्सको से/सेवानिवृत्त कार्मिक रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- (6) उक्त संबंध में आयुक्तालय नियमानुसार सम्पूर्ण आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 152300812, 152301049 दिनांक 09.06.2023 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Signature valid

(धुजनाहने किया)

Digitally signed by Priyanka Nogia
Designation: Deputy Secretary
Date: 2023.06.16 11:59:23 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4065449



प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (एच.डी.), माननीय मुख्यमंत्री।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1) विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
8. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
9. संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग।
10. लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग।
11. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
12. आयुक्त, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
15. सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
16. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-प्रथम

Signature valid

Digitally signed by Brij Mohan Nogia
Designation: Deputy Secretary
Date: 2023.06.16 12:59:23 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4065449



विषय :-चिमनपुरा स्थित मूल महाविद्यालय को बाबा भगवान दास राजकीय महाविद्यालय, चिमनपुरा के नाम से संचालित कर उसमें विज्ञान, वाणिज्य व कला संकाय संचालित किये जाने एवं नव निर्माणधीन भवन में बाबा नारायण दास राजकीय कृषि महाविद्यालय चिमनपुरा संचालित किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश दिनांक 16.06.2023 के पृष्ठांकन बाबत।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (एच.डी.), मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1)विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. शासन उप सचिव-प्रथम, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. शासन उप सचिव, कृषि (ग्रुप-3)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान जयपुर।
13. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर/श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर, राजस्थान।
14. मुख्य अभियंता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर/प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, राजस्थान, जयपुर।
15. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
16. समन्वयक, संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेट), कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
17. संयुक्त निदेशक, एच.आर.डी/संयुक्त निदेशक, प्रशासन, आकाशि, राजस्थान, जयपुर।
18. संयुक्त निदेशक, अकादमिक, आकाशि, राजस्थान, जयपुर।
19. प्राचार्य, संबंधित राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
20. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने बाबत।
21. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. विमलेश सोनी)
संयुक्त निदेशक, आयोजना

Signature valid

Digitally signed by Vimlesh Soni
Designation : Associate Professor
Date: 2023.06.19 15:11:01 IST
Reason: Approved

